तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3206/2005/पाली जैताराम बनाम मोटाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य उपस्थितः– श्री ओ0एल0दवे, अधिवक्ता अपीलार्थी। श्री वी0पी0सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से। –– निर्णय दिनांकः03–04–19 यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा अपील सं0 40/2004 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 04–06–2005 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील देसूरी ने अपने आदेश दिनांक 02–08–2004 द्वारा ग्राम गांवाडा में स्थित खसरा नं0 105 में से रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि में अपीलार्थी द्वारा खोदे गए कुआं को नियमन किया जाना उचित मानते हुए नियमन की अनशंषा करते हुए प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष प्रेषित किया, जिसे उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 04–10–2004 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में पेश की गई, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने अपने निर्णय दिनांक 04–06–2005 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3206/2005/पाली जैताराम बनाम मोटाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय प्रदान किए है तथा रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों विपरीत व अपना मस्तिष्क का प्रयोग बिना पारित किए है। उनका तर्क था कि अपीलार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जाशुदा कृषि भूमि में सिंचाई करने हेतु आज से लगभग 8 वर्ष पूर्व निजी कुंआ हजारों रूपए खर्च कर खुदवाया तथा एक कमरे का निर्माण भी करवाया तथा मोटर भी लगवाई। चूँकि खसरा नं0 105 किस्म बारानी राजकीय सिवायचक भूमि है, इस कारण अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही हुई तथा बाद में मौका जाँच रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य के आधारों पर उक्त कुॅए को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम) सिंचाई प्रयोजनार्थ कुँआ खुदाई एवं पंपिंग सेट) नियम 1979 के तहत अपीलार्थी के पक्ष में तहसीलदार, देसूरी ने अपने आदेश दिनांक 02-08-2004 द्वारा नियमानुसार नियमन करने की अनुशंषा के साथ उपखण्ड अधिकारी को प्रकरण प्रेषित किया किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपने निर्णय पारित किए, जिन्हें न्यायहित में निरस्त किया जाना आवश्यक है, क्योंकि अपीलार्थी के पक्ष में नियमन नहीं किया गया तो अपीलार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में सिंचाई नहीं कर पाएगा तथा उसे अपूरणीय क्षति होगी। अतः द्वितीय अपील स्वीकार की जावें। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1 ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा सं0 104 की दक्षिणी भुजा के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3206/2005/पाली जैताराम बनाम मोटाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पास प्रत्यर्थी ने बेरा खोदा तथा उक्त भूमि पर उनका कब्जा है। उनका तर्क था कि अपीलार्थी के पास पटवारी द्वारा की गई एक साल के अतिक्रमण की रिपोर्ट है यदि उक्त कुँए का अपीलार्थी के हक व नियमन किया जाता है तो प्रत्यर्थी के हितों पर कुठाराघात होगा। उक्त कुँए से प्रत्यर्थी की खातेदारी की भूमि की सिंचाई होना प्रमाणित है तथा इस कुँए से अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि की तुलना में प्रत्यर्थी की खातेदारी की भूमि नजदीक है। उनका यह भी तर्क था कि अपीलार्थी द्वारा भूमि अदला बदली के तथ्य को सिद्ध नहीं किया गया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित है, अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित आदेश का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रश्नगत प्रकरण में दोनों पक्ष कुॅए का निर्माण खुद के द्वारा किया जाना कथित कर रहे है। लेकिन इस बाबत् दोनों पक्षों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष सुसंगत साक्ष्य पेश नहीं की गई, ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों में से किसी के भी पक्ष में प्रकरण नियमन योग्य नहीं माना गया है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, देसूरी द्वारा अनुशंषा संबंधित पत्रावली में अपीलार्थी का अतिक्रमण मात्र एक साल का ही दर्शाया गया है तथा खसरा परिवर्तनशील की नकल के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा सं0 105 पर प्रत्यर्थी सं0 2 मोटाराम का अतिक्रमण बाड़े के रूप में है, जिसमें कुँए का कोई उल्लेख नहीं है, उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हम दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को उचित एवं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3206/2005/पाली जैताराम बनाम मोटाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधिसम्मत पाते है तथा द्वितीय अपील के स्तर पर उनमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप हम इस द्वितीय अपील में कोई सार नहीं पाते है, अतः द्वितीय अपील खारिज की जाती है । आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (शिखर अग्रवाल) सदस्य	